"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20 01-03"

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 21-स] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 31 जनवरी 2008—माघ 11, शक 1929

स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 जनवरी 2008

अधिसूचना

क्रमांक एफ 6-2/08/20.—राज्य शासन एतद्द्वारा प्रदेश में डाइट/बी. टी. आई./महाविद्यालयों/संस्थाओं में द्विवर्षीय डी. एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा विस्तार —**
   (1) इन नियमों का नाम छत्तीसगढ़ डी. एड. प्रवेश नियम 2007 होगा.

   (2) यह छत्तीसगढ़ राज्य के सभी शासकीय एवं निजी डी. एड. पाठ्यक्रम संचालित करने वाले संस्थाओं पर लागू होंगे.

   (3) यह अधिसूचना प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावशील होंगी.

2. **परिभाषाएं** — इन नियमों में जब तक कि संदर्भ द्वारा अन्यथा अभिप्रेत न हो —
   (क) "राज्य शासन" से तात्पर्य है, छत्तीसगढ़ शासन,

   (ख) "श्रेणी" से तात्पर्य है, अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर)

   (ग) "संवर्ग" से तात्पर्य है, महिला, निःशक्त, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा भूतपूर्व सैनिक,

   (घ) "प्री डी. एड. परीक्षा" से तात्पर्य है, डी. एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा,

(ङ) "संचालक" से तात्पर्य है, संचालक राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्,

(च) "अनुदान प्राप्त संस्था/महाविद्यालय" से तात्पर्य है, ऐसा संस्था/महाविद्यालय जिसने कभी भी राज्य शासन से किसी भी प्र का अनुदान, अथवा चल-अचल संपत्ति की कोई सहायता प्राप्त की हो, और "गैर अनुदान प्राप्त संस्था/महाविद्यालय" से तात्पर्य भी इसी अनुसार निकाला जाएगा,

(छ) "गैर अनुदान प्राप्त अल्पसंख्यक संस्था/महाविद्यालय" से अभिप्रेत है कि ऐसे संस्था/महाविद्यालय जो छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग द्वारा प्रमाणित हो तथा महाविद्यालय के न्यूनतम 50 प्रतिशत सीट धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए आरक्षित हो,

(ज) "डाइट" से तात्पर्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान एवं "बी. टी. आई." का तात्पर्य बेसिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है.

3. डी. एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश —

(क) प्री डी. एड. परीक्षा :— सामान्यतया डी. एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश प्री डी. एड. परीक्षा की प्रावीण्य सूची के आधार पर की गई काउंसिलिंग के माध्यम से ही किया जायेगा.

(ख) मूल निवासी :— राज्य के शासकीय तथा शासकीय अनुदान प्राप्त डाइट/बी. टी. आई./महाविद्यालयों/संस्थाओं में डी. एड. पाठ्यक्रम की समस्त सीटों पर तथा निजी गैर अनुदान प्राप्त संस्थाओं/महाविद्यालयों में 80 प्रतिशत सीटों पर केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को ही प्रवेश दिया जाएगा. निजी गैर अनुदान प्राप्त संस्थाओं/महाविद्यालयों की 20 प्रतिशत सीटों पर छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को भी प्रवेश दिया जा सकेगा. छत्तीसगढ़ के मूल निवासी की परिभाषा छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप होगी.

(ग) आयु सीमा :— डी. एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश न्यूनतम आयु प्री डी. एड. परीक्षा वर्ष की 01 जुलाई को 17 वर्ष होगी तथा अधिकतम आयु 33 वर्ष से अधिक नहीं होगी. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं संवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु में छूट छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप होगी.

4. प्री डी. एड. परीक्षा में सम्मिलित होने की अर्हताएं — डी. एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए निम्नलिखित अर्हताएं होंगी —

(क) भारत का नागरिक हो.

(ख) हायर सेकेण्डरी (कक्षा 12वीं) अथवा उसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50% अंक के साथ उत्तीर्ण हो, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं राज्य सरकार के नियमों के अनुसार संवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अंकों में 5 प्रतिशत छूट की व्यवस्था होगी. ऐसे अभ्यर्थियों को जो +2 परीक्षा में बैठे हैं प्री डी. एड. परीक्षा में प्रोवीजनल प्रवेश दिया जाएगा. परन्तु उन्हें काउंसिलिंग के समय +2 परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा.

5. डी. एड. पाठ्यक्रम में सीटों का आरक्षण — डी. एड. पाठ्यक्रम के उपलब्ध सीटों में वर्टिकल तथा क्षैतिज दोनों प्रकार का आरक्षण होगा. वर्टिकल आरक्षण के लिए श्रेणियां होंगी, तथा क्षैतिज आरक्षण के लिए संवर्ग होंगे.

(क) वर्टिकल आरक्षण अथवा श्रेणी-वर्टिकल आरक्षण निम्नानुसार होगा —

(एक) अनुसूचित जाति के लिए 15 प्रतिशत.

(दो) अनुसूचित जनजाति के लिए 21 प्रतिशत.

(तीन) अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के लिए 14 प्रतिशत.

स्पष्टीकरण — अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणियों में आरक्षण का लाभ पाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इन श्रेणियों के जाति प्रमाण के संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा.

(ख) क्षैतिज आरक्षण अथवा संवर्ग का तात्पर्य है कि यह आरक्षण सभी श्रेणियों की सीटों पर समान रूप से होगा. क्षैतिज आरक्षण निम्नानुसार होगा—

(एक) निःशक्त संवर्ग के लिए 6 प्रतिशत. इस संवर्ग में आरक्षण का लाभ पाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप निःशक्त होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा.

(दो) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संवर्ग श्रेणी के लिए 3 प्रतिशत. इस संवर्ग में आरक्षण का लाभ पाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अथवा उनका पुत्र/पुत्री/पौत्र/पौत्री होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा.

(तीन) भूतपूर्व सैनिक संवर्ग के लिए 3 प्रतिशत. इस संवर्ग में आरक्षण का लाभ पाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा.

(चार) महिला संवर्ग के लिए 30 प्रतिशत.

(ग) शासकीय और अनुदान प्राप्त डाइट/बी. टी. आई. में गणित एवं विज्ञान समूह के लिए कम से कम 50% स्थान आरक्षित होगी. शेष स्थान अन्य समस्त समूह जैसे कला, वाणिज्य, कृषि, गृह विज्ञान, व्यावसायिक शिक्षा, ललित कला इत्यादि के लिए होंगे. किसी एक समूह के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में किसी अन्य समूह के अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जा सकेगा.

(घ) उपरोक्त आरक्षण नियम गैर अनुदान अल्पसंख्यक संस्थाओं/महाविद्यालयों एवं गैर अनुदान प्राप्त संस्थाओं/महाविद्यालयों में लागू नहीं होंगे.

6. प्री डी. एड. परीक्षा—

(क) प्रतिवर्ष डी. एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए एक प्री डी. एड. परीक्षा आयोजित की जाएगी.

(ख) राज्य शासन आदेश द्वारा प्री डी. एड. परीक्षा आयोजित करने की एजेंसी नियुक्त करेगा. राज्य शासन किसी भी समय इस हेतु किए गए आदेश द्वारा एजेंसी बदल सकेगा.

(ग) प्री डी. एड. परीक्षा में एक ही प्रश्न पत्र होगा. अंकों का विभाजन निम्नानुसार होगा—

1. सामान्य मानसिक योग्यता 30 प्रतिशत
2. सामान्य ज्ञान 20 प्रतिशत
3. शिक्षण अभिरुचि 30 प्रतिशत
4. सामान्य हिन्दी 10 प्रतिशत
5. सामान्य अंग्रेजी 10 प्रतिशत

(घ) केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जायेंगे.

(ङ) निगेटिव मार्किंग नहीं होगी.

(च) प्री डी. एड. परीक्षा में पुनर्मूल्यांकन तथा अंकों की पुनर्गणना नहीं की जाएगी.

7. प्रावीण्य सूची— प्री डी. एड. परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर परीक्षा लेने वाली एजेंसी द्वारा अनुसूचित जाति श्रेणी, अनुसूचित जनजाति श्रेणी, अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी तथा अनारक्षित श्रेणी की पृथक-पृथक प्रावीण्य सूचियां तैयार की जायेंगी. अनारक्षित श्रेणी की प्रावीण्य सूची में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा सामान्य, सभी जातियों को शामिल किया जाएगा. प्रावीण्य सूचियां छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों तथा अन्य अभ्यर्थियों के लिए पृथक-पृथक बनाई जायेंगी. प्रावीण्य सूची में अभ्यर्थी का वर्ग भी अंकित किया जायेगा. समान प्राप्तांक होने पर अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को प्रावीण्यता क्रम में ऊपर रखा जाएगा.

8. काउंसिलिंग—

(क) प्रावीण्य सूची के प्रकाशन के पश्चात् संस्थाओं में प्रवेश देने के लिए काउंसिलिंग की जाएगी.

(ख) काउंसिलिंग संचालक द्वारा की जाएगी. काउंसिलिंग के समय प्रदेश में डी. एड. पाठ्यक्रम संचालित करने वाली सभी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे.

(ग) संचालक प्रावीण्य सूची में शामिल अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यय पर काउंसिलिंग के लिए समाचार पत्र के माध्यम से आमंत्रित करेंगे.

(घ) काउंसिलिंग के लिए उपस्थित सभी अभ्यर्थियों को प्रतीक्षा कक्ष में बैठाया जाएगा, जहां उनके मूल प्रमाण–पत्रों की जांच की जाएगी केवल मूल प्रमाण–पत्रों की जांच में अर्ह पाए गए अभ्यर्थियों को ही काउंसिलिंग में भाग लेने की अनुमति होगी.

(ङ) अभ्यर्थियों के अतिरिक्त केवल एक व्यक्ति को प्रतीक्षा कक्ष/जांच कक्ष/काउंसिलिंग कक्ष में प्रवेश की अनुमति होगी.

(च) संचालक के आदेशों का सभी अभ्यर्थियों को पालन करना होगा, अन्यथा उन्हें काउंसिलिंग के अयोग्य घोषित किया जा सकेगा.

(छ) काउंसिलिंग के लिए काउंसिलिंग कक्ष में अभ्यर्थियों को प्रावीण्यता के क्रम से प्रवेश दिया जाएगा.

(ज) काउंसिलिंग के समय अभ्यर्थी को उपलब्ध संस्था/महाविद्यालय तथा उपलब्ध सीटों के प्रकार की जानकारी दी जाएगी. अभ्यर्थी को मात्र एक डाइट/बी. टी. आई./महाविद्यालय/संस्था में मात्र एक सीट चयन करने का अधिकार होगा. अभ्यर्थी को अपना चयन काउंसिलिंग के लिए निर्धारित प्रपत्र में लिखकर देना होगा. एक बार सीट चयन कर लेने के बाद अभ्यर्थी को अपना चयन बदलने की अनुमति नहीं होगी.

(झ) अभ्यर्थी के द्वारा चयनित सीट पर उसे तत्काल प्रवेश दिया जायेगा और उसके मूल प्रमाण–पत्र जमा करा लिए जाएंगे. अभ्यर्थी को संबंधित डाइट/बी. टी. आई./महाविद्यालय/संस्था में फीस जमा करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया जाएगा. समय पर फीस जमा न करने की स्थिति में प्रवेश स्वयमेव निरस्त माना जाएगा और वह सीट प्रावीण्य सूची में अगले क्रम के अभ्यर्थी को दी जा सकेगी.

(ञ) **काउंसिलिंग निम्नलिखित क्रम से की जाएगी**— पहले छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए काउंसिलिंग की जाएगी. इसमें केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा जिनके नाम छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों की प्रावीण्य सूची में है. छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों की काउंसिलिंग पूरी होने के पश्चात् अन्य अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग की जाएगी. काउंसिलिंग के समय छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के अभ्यर्थियों को निम्नलिखित क्रम से काउंसिलिंग के लिए बुलाया जाएगा–

(एक) अनारक्षित श्रेणी
(दो) अनुसूचित जनजाति श्रेणी
(तीन) अनुसूचित जाति श्रेणी
(चार) अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी

इनके बाद अन्य अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग के लिए बुलाया जायेगा.

(ट) किसी भी अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को जिसका नाम अनारक्षित श्रेणी की प्रावीण्य सूची में भी हो, काउंसिलिंग के समय उपलब्ध अपनी श्रेणी के लिए आरक्षित सीट अथवा उपलब्ध अनारक्षित सीट में से कोई एक सीट चुनने का विकल्प होगा. चयनित विकल्प अंतिम होगा और किसी भी परिस्थिति में उसमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा.

(ठ) काउंसिलिंग के संबंध में किसी भी विवाद में संचालक का निर्णय अंतिम होगा.

(ड) काउंसिलिंग के समय उम्मीदवार आवश्यक मूल प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों तथा 300/– रु. (अक्षरी तीन सौ रुपये मात्र) के रेखांकित बैंक ड्राफ्ट, संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के नाम से रायपुर में देय, के साथ उपस्थित होंगे.

9. **आरक्षित संवर्ग के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में प्रवेश**— आरक्षित संवर्ग के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में इन संवर्गों के लिए आरक्षित सीटों को उसी श्रेणी की अनारक्षित सीटों में परिवर्तित कर दिया जाएगा.

10. **आरक्षित श्रेणी के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में प्रवेश**— किसी भी आरक्षित श्रेणी में पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में प्रवेश निम्नानुसार दिया जाएगा—

(क) अनुसूचित जाति श्रेणी के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में इस श्रेणी के लिए आरक्षित सीटें अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी.

(ख) अनुसूचित जनजाति श्रेणी के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में इस श्रेणी के लिए आरक्षित सीटें अनुसूचित जाति श्रेणी के अभ्यर्थियों से भरी जाएगी.

(ग) अनुसूचित जाति श्रेणी एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी दोनों के ही पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में इन श्रेणियों के लिए आरक्षित सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी के अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी.

(घ) अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में इस श्रेणी के लिए आरक्षित सीटें पहले अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों से और इसके बाद भी सीटें रिक्त रहने पर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी.

(ङ) सभी आरक्षित श्रेणियों के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में ही आरक्षित सीटें अनारक्षित की जायेंगी.

11. **छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न होने की दशा में प्रवेश**— इन नियमों में जो सीटें छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों से ही भरी जाना अनिवार्य हैं, उन सीटों के लिए पर्याप्त संख्या में छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में यह सीटें भी अन्य अभ्यर्थियों से भरी जा सकेंगी, परंतु यह नियम केवल निजी गैर अनुदान प्राप्त संस्थाओं एवं गैर अनुदान प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थाओं में लागू होंगे.

12. **प्रवेश का निरस्तीकरण**— यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी के संस्था/महाविद्यालय में प्रवेश पाने के पीछे किसी झूठी या गलत सूचना का आधार था अथवा उसने कोई प्रारंभिक तथ्य छुपाया था, अथवा प्रवेश के बाद की अवधि में यह पता चलता है कि उसे किसी त्रुटि अथवा चूक के कारण प्रवेश मिल गया था तो ऐसी अभ्यर्थी को दिया गया प्रवेश उसके अध्ययन की अवधि में बिना किसी पूर्व सूचना के संस्था प्रमुख द्वारा निरस्त किया जा सकेगा. प्रवेश को लेकर किसी भी विवाद अथवा संदेह की स्थिति में राज्य शासन का निर्णय अंतिम होगा.

13. **संस्था/महाविद्यालय की फीस**— सभी संस्थाओं/महाविद्यालयों को इस संबंध में राज्य शासन के सामान्य निर्देशों के अधधीन रहते हुए अपनी फीस निर्धारित करने का अधिकार होगा.

परंतु यह कि महाविद्यालय अपनी फीस इस प्रकार निर्धारित करेंगे, कि फीस अत्यधिक लाभ कमाने का जरिया न बन जाए. फीस का निर्धारण महाविद्यालयों को अपनी अधोसंरचनाओं एवं मानव संसाधनों पर किए जाने वाले व्यय के अनुरूप करना होगा तथा वे इसकी एक लेखा परीक्षित विवरणी राज्य शासन को सौंपेंगे तथा सार्वजनिक रूप से आम जनता की सूचना के लिए प्रवेश के कम से कम दो समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करेंगे.

परंतु यह भी कि संस्थाओं/महाविद्यालयों को प्री बी. एड. परीक्षा का प्रास्पेक्ट्स छापने के पूर्व अपनी फीस प्री डी. एड. परीक्षा एजेंसी तथा राज्य शासन को लिखित में सूचित करनी होगी, ताकि फीस की जानकारी प्रास्पेक्ट्स में छापी जा सके.

परन्तु यह भी कि एक बार किसी अभ्यर्थी को प्रवेश देने के पश्चात् उस अभ्यर्थी के लिए फीस बढ़ाई नहीं जा सकेगी.

14. **नियमों की व्याख्या**— प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों के चयन से संबंधित सभी नीतिगत प्रश्नों का निर्णय करने के लिए राज्य शासन अंतिम रूप से प्राधिकारी होगा. यदि प्रवेश के इन नियमों की व्याख्या से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो राज्य शासन का निर्णय अंतिम तथा बंधनकारी होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नंद कुमार, सचिव.

रायपुर, दिनांक 31 जनवरी 2008

क्रमांक एफ 6-2/08/20.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ 6-2/08/20, दिनांक 31-01-2008 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नंद कुमार, सचिव.

Raipur, the 31st January 2008

NOTIFICATION

No. F 6-2/08/20.—State Government hereby makes the following rules for admission to the 2 yearly D. Ed. Course in DIET/B.T.I./Colleges/Institutes in the state, namely :—

1. **Short name, commencement and extent**— These rules shall be called Chhattisgarh D.Ed. Pravesh Rules 2008. They shall extend to all the Government and private institutes of Chhattisgarh which run D. Ed. course. They will come into force with effect from the date of their publication.

2. **Definition** — In these rules unless the context the otherwise requires—

(a) "State Government" means, Government of Chhattisgarh.

(b) "Category" means, unreserved, Scheduled Caste, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Excluding creamy layer).

(c) "Class" means, Women, Disabled, Freedom fighter and Ex-Army.

(d) "Pre D. Ed. Examination" means, the competitive Examination organized for admission to D. Ed. course.

(e) "Director" means, Director State Council for Educational Research and Training.

(f) "Government Aided institute/College" means, a College, which has at any time receivedany grant-in-aid or any help in the nature of moveable or immoveable property from the State Government accordingly, and the term "unaided college" shall be construed accordingly.

(g) "Unaided Minority institute/college" means, a college, which is certificate by the Chhattisgarh State Minority Commission and reserves minimum 50 percent seats for religious minority community.

(h) "DIET" means, Distt. institute of Education & Training and 'B. T. I.' means Basic Training Institute.

Admission to D. Ed. Course—

(a) **Pre-D. Ed. Examination :-** Generally admission to D. Ed. Course will be given only through of counseling conducted on the Basic of the merit list of Pre-D. Ed. Examination.

(b) **Bona-fide Resident :-** Bona-fide residents of Chhattisgarh will be given admission on all the seats of D. Ed. Course in Government and Government aided DIET/B.T. I./Colleges/Institutes state and on 80% seats of D. Ed. Course in private unaided College in the state. On 20% seats of D Ed. Course in private unaided Colleges/Institutes in the state admission may be given to persons other than Bona-fide residents of Chhattisgarh. The definition of Bona-fide resident of Chhattigarh will be according to the instruction issued from time to time by the General Administration Department, Government of Chhattisgarh.

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 112] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 1 अप्रैल 2010—चैत्र 11, शक 1932

स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 अप्रैल 2010

अधिसूचना

क्रमांक एफ 6-02/20-एक/2008.—विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 31-01-2008 द्वारा छत्तीसगढ़ डी. एड. प्रवेश नियम 2007 बनाया गया है. उक्त नियम में राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

1. नियम 2 के उपनियम (ज) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जाय—

(झ) "ऑनलाइन आवंटन" से अभिप्रेत है कि प्री.डी.एड. परीक्षा प्रावीण्य सूची के ऐसे उम्मीदवार जो डी. एड. पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित अर्हताएं रखते हैं तथा उन्हें अनुमान है कि उन्हें डी. एड. पाठ्यक्रम हेतु संस्था/महाविद्यालय आवंटित हो सकता है, विकल्प फार्म भरने हेतु निर्धारित केन्द्रों में जाकर ऑनलाइन विकल्प फार्म भरते हैं. ऐसे उम्मीदवारों को प्री.डी.एड. परीक्षा प्रावीण्यता, संस्था/महाविद्यालय में रिक्त सीटों तथा उनके द्वारा भरे गये संस्थाओं/महाविद्यालयों के विकल्प के आधार पर संस्था/महाविद्यालय का आवंटन किया जाता है.

2. नियम 3 के उपनियम (क) को विलोपित कर निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किये जायें—

(क) प्री.डी.एड. परीक्षा-सामान्यतया डी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश प्री.डी.एड. की प्रावीण्य सूची के आधार पर किए गए ऑनलाइन आवंटन के माध्यम से दिया जायेगा.

3. नियम 4 के उपनियम (ख) में काउंसिलिंग शब्द के स्थान पर "ऑनलाइन विकल्प फार्म भरने" स्थापित किया जाये.

4. नियम 5 के उपनियम (क) को विलोपित करके उसके स्थान पर निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किये जायें—

(क) वर्टिकल आरक्षण अथवा श्रेणी वर्टिकल आरक्षण में जिलेवार आरक्षण लागू होगा. अर्थात् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के लिए आरक्षण का प्रतिशत जिलेवार आरक्षण अनुसूची के अनुसार होगा.

इसके लिए अभ्यर्थी जिस जिले के डी. एड. संस्था में प्रवेश लेना चाहता है, उसी जिले का निवासी अथवा उसी जिले से बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा.

आवंटन सूची जिलेवार जारी होगी. यदि किसी डाइट/बी.टी.आई. में आवंटन के पश्चात् सीट रिक्त रह जाती है तो उसे अन्य जिले के अभ्यर्थियों से प्रावीण्यता के आधार पर भरी जा सकेगी. नये जिले जिसमें डाईट/बी.टी.आई. उपलब्ध नहीं है, के अभ्यर्थी अपने पूर्व जिले की डाइट/बी. टी. आई. के लिए आवेदन कर सकेंगे.

5. नियम 8 एवं उसके समस्त उपनियमों को विलोपित कर निम्नलिखित नियम व उपनियम प्रतिस्थापित किये जाये—

8. ऑनलाइन आवंटन—

(क) प्रावीण्य सूची की घोषणा के पश्चात् संस्थाओं में प्रवेश ऑनलाइन आवंटन विधि से किया जावेगा.

(ख) ऑनलाइन विकल्प फार्म भरते समय उम्मीदवार आवश्यक मूल प्रमाण-पत्रों/दस्तावेजों तथा 300/- रु. (अक्षरी-तीन सौ रुपये मात्र) के रेखांकित बैंक ड्राफ्ट, संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के नाम से, रायपुर में देय के साथ निर्धारित केन्द्र में स्वयं के व्यय से उपस्थित होंगे. इन केन्द्रों में अभ्यर्थियों के प्रमाण-पत्रों की प्रारंभिक जांच होगी.

(ग) ऑनलाइन फार्म भरने की सूचना एवं केन्द्रों की सूची राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के वेबसाइट तथा राज्य के दो प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किये जायेंगे.

(घ) अभ्यर्थी केवल उन्हीं संस्थाओं/महाविद्यालयों का विकल्प चुने जहां वे प्रवेश लेना चाहते हैं.

(ङ) अभ्यर्थियों को संस्था/महाविद्यालय का आवंटन उसके द्वारा दिये गये ऑनलाइन विकल्प (संस्था को दी गई प्राथमिकता) प्री.डी.एड. परीक्षा में उसका प्रावीण्यता क्रम तथा सीटों की उपलब्धता के आधार पर संचालक द्वारा किया जायेगा.

(च) सीट आवंटन की सूची राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के वेबसाइट पर तथा जिस केन्द्र में अभ्यर्थी ने विकल्प फार्म भरा है उसी केन्द्र पर उपलब्ध होगी. सीट्स आवंटन की सूचना डाक द्वारा अभ्यर्थी को नहीं दी जायेगी.

(छ) ऑनलाइन आवंटन के पश्चात् निर्धारित समय अवधि में अभ्यर्थी या तो आवंटित संस्था में जाकर प्रवेश ले अथवा अपना आवंटन निर्धारित कालावधि समाप्त होने के पहले निरस्त कराकर नया विकल्प फार्म उसी केन्द्र में जहां पहले फार्म भरा था, ऑनलाइन जमा कर सकते हैं. इसके लिए निर्धारित राशि पुनः जमा करनी होगी अन्यथा ऐसा नहीं करने पर अभ्यर्थी का संस्था/महाविद्यालय आवंटन निर्धारित समयावधि के पश्चात् स्वयमेव निरस्त हो जायेगा तथा उस अभ्यर्थी को आगे की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जायेगा. पुनः विकल्प फार्म भरने वाले अभ्यर्थी को रिक्त सीटों के लिए संस्था/महाविद्यालय आवंटन अगली सूची जारी करते समय किया जावेगा. पुनः विकल्प फार्म भरने का यह अवसर केवल एक बार के लिए होगा.

(ज) संस्था/महाविद्यालय द्वारा अभ्यर्थी के मूल दस्तावेजों को जांचकर प्रवेश दिया जायेगा. अगर मूल दस्तावेजों में कोई कमी या त्रुटि पाई जाती है तो उसका चयन निरस्त कर दिया जायेगा. ऑनलाइन आवंटन के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में संचालक का निर्णय अंतिम होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नंदकुमार, सचिव.

अनुसूची I

[देखें नियम 8 (क)]

जिलेवार आरक्षण का प्रतिशत

क्र.	जिले का नाम	संबंधित डाइट/बी.टी.आई.	आरक्षण का प्रतिशत			
			सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	सरगुजा	अम्बिकापुर	25	06	55	14
2.	कोरिया	कोरिया	25	06	55	14
3.	बिलासपुर	पेण्ड्रा, बी.टी.आई. बिलासपुर	43	19	24	14
4.	जांजगीर-चांपा	जांजगीर	43	19	24	14
5.	कोरबा	कोरबा	43	19	24	14
6.	रायगढ़	धर्मजयगढ़	25	12	49	14
7.	जशपुर	जशपुर	25	12	49	14
8.	राजनांदगांव	खैरागढ़, बी.टी.आई. डोंगरगांव	49	11	26	14
9.	कबीरधाम	कबीरधाम	49	11	26	14
10.	दुर्ग	बेमेतरा	60	13	13	14
11.	रायपुर	रायपुर	52	15	19	14
12.	धमतरी	नगरी	52	15	19	14
13.	महासमुंद	महासमुंद	52	15	19	14
14.	बस्तर	बस्तर	12	06	68	14
15.	कांकेर	कांकेर	12	06	68	14
16.	दंतेवाड़ा	दंतेवाड़ा	12	06	68	14

रायपुर, दिनांक 1 अप्रैल 2010

क्रमांक एफ 6-2/2008/20-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 01-04-2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नंदकुमार, सचिव.

Raipur, the 1st April 2010

NOTIFICATION

No. F 6-02/20-I/2008.— Chhattisgarh D.Ed. Pravesh Rule 2007 is made by even number departmental Notification date 31-01-2008. State Government hereby makes the following amendment in the above rules, namely :—

AMENDMENT

1. After sub-rule (h) of Rule-2 the following sub-rule is established :—
   (i) Online Allotments means such candidates in the merit of Pre D.Ed. Examination who fulfill all prescribed qualifications for admission to D.Ed. courses and who expect to gete admission to D.Ed. Courses in a College or Institute, fill Online Option forms at the prescribed centres, such Candidates shall be given admission on the basis of merit of Pre D.Ed. Examination, vacant seats in the Institute/College and their options.

2. Following sub-rule is established by deleting Sub-rule (a) of rule 3.
   (a) Pre D. Ed. Exam-Generally admission to D. Ed. courses will be given through online seat allotment on the basis of merit list of Pre D. Ed. examination.

3. Filling online option forms should be substituted in place of Counseling, in sub-rule (b) of rule 4.

4. Rule 5, sub-rule (a) is deleted and substituted by—
   District wise reservation will be applicable in vertical reservaion or categories reservation.

This means that the percentage of reservation for Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes (excluding Creamy layer) will be as per the district wise reservation Schedule-I.

For this it will be compulsory for the candidates to be either a resident of the district or should have passed class 12 from the district.

The allotment list will be declared district wise. If same seats lie vacant in a DIET or BTI they will be filled by candidates of other districts on the basis of merit. The candidates from the newly formed districts where no DIET/BTI exists can apply for admission to the DIET/BTI of the former districts.

5. The rule 8 and all its sub-rules are deleted and the following rules and sub-rules are established.

8. Online allotment

(a) After the declaration of merit list the admission to the institutions shall be done according to online allotment procedure.

(b) The candidates will be present at the prescribed centres with all the original documents and a crossed Bank Draft for Rs. 300.00 (Rs. Three Hundred only) Payable to Director, State Council of Educational Research and Training, Raipur. Initial scrutiny of the documents will be done at the centres.

(c) The information for filling online options forms will be published in two leading newspapers of the state and also on the SCERT, website.

(d) Applicants should opt for only those institutions where they intend to seek admission.

(e) The allotment of institutions/colleges will be done by the Director on the basis of their online option, (preference given to the institutions), merit list of Pre D.Ed. examination and the availability of seats.

(f) The seat allotment list will be available on SCERT website and at the centres where the candidate has filled option forms. No postal communication will be sent to candidates regarding the allotment of seats.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 209] रायपुर, बुधवार, दिनांक 10 मई 2023 — वैशाख 20, शक 1945

स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 10 मई 2023

अधिसूचना

क्रमांक एफ 6–2 / 2008 / 20–एक.— विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 31–01–2008 द्वारा छत्तीसगढ़ डी.एड प्रवेश नियम 2007 बनाएं गये हैं, इस नियमों में राज्य शासन द्वारा दिनांक 01 अप्रैल 2010 को संशोधन किये गए हैं। इस संशोधित नियम के उपनियम 5 (क) में राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :–

संशोधन

1. नियम 5 के उपनियम (क) को विलोपित कर निम्नलिखित उप नियम प्रतिस्थापित करता है–

(क) डी.एल.एड. पाठ्यक्रम में सीटों का आरक्षण प्रवेश के समय छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए विधिवत निर्धारित आरक्षण के अनुसार होगा।

2. नियम 5 के उपनियम (घ) को विलोपित कर निम्नलिखित उप नियम प्रतिस्थापित करता है–

(घ) उपरोक्त आरक्षण नियम गैर अनुदान प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थाओ / महाविद्यालयों में लागू नही होगें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तीरथ प्रसाद लड़िया, उप–सचिव.

Atal Nagar, the 10th May 2023

NOTIFICATION

No. F 6-2/2008/20-1.— Chhattisgarh D. Ed. Parvesh Rules 2007 is made by even department notification date 31-01-2008. In these rules, amendments have been made by the State Govt on 01 April 2010. The amended sub- rule 5 (a) of this rule is here by amended by the state government, namely : -

AMENDMENT

1. Following sub- rule is substituted by deleting sub-rule 5(a).

(a) Reservation of seats in D. El. Ed. course will be according to the duly prescribed reservation in admission to educational institutions by the Government of Chhattisgarh at the time of admission.

2. Following sub- rule is substituted by deleting sub-rule 5(d).

(d) The above reservation rules will not be applicable in non- aided minority institutions/ colleges.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
TIRATH PRASAD LADIYA, Deputy Secretary.

अटल नगर, दिनांक 10 मई 2023

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5–5/2006/20–एक.— विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 20 अप्रैल 2006 द्वारा छत्तीसगढ़ बी.एड. प्रवेश नियम 2006 बनाएं गये हैं, उक्त नियम में राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नानुसार संशोधन करता है, अर्थात् :–

संशोधन

1. नियम 5 (क) को विलोपित कर निम्नलिखित उप नियम प्रतिस्थापित करता है–

(क) बी.एड. पाठ्यक्रम में सीटों का आरक्षण प्रवेश के समय छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए विधिवत निर्धारित आरक्षण के अनुसार होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तीरथ प्रसाद लड़िया, उप–सचिव.

Atal Nagar, the 10th May 2023

NOTIFICATION

No. F 5-5/2006/20-1.— Chhattisgarh B. Ed. Parvesh Rule 2006 is made by even department notification date 20-04-2006. State Government here by makes following amendment in the above rules, namely: -

AMENDMENT

Following sub- rule is substituted by deleting sub-rule 5(a).

(a) - Reservation of seats in B.Ed.course will be according to the duly prescribed reservation in admission to educational institutions by the Government of Chhattisgarh at the time of admission.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
TIRATH PRASAD LADIYA, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2023.